न्यायालयः—मयंक मोदी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रतलाम,(म.प्र.)

क्रमांक...../2023 रतलाम, दिनांक—.....

रतलाम सिविल जिले में पदस्थ समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट के मध्य आपराधिक प्रकरणों से संबंधित कार्य विभाजन आदेश वर्ष—2023

माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर, (म.प्र.) के आदेशानुसार मैं, मयंक मोदी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रतलाम, (म.प्र.) दं.प्र.सं. की धारा 14(1) एवं 15(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रतलाम जिला में पदस्थ समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेटगण के मध्य आपराधिक प्रकरणों एवं अनुषांगिक कार्य के निष्पादन के संबंध में निम्नलिखित क्षेत्रों की स्थानीय सीमाएं परिनिश्चित करते हुए पूर्व के समस्त कार्य विभाजन आदेश निरस्त कर नवीन कार्य विभाजन आदेश प्रसारित करता हूँ जो, **माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, रतलाम,(म.प्र.)** के अनुमोदन पश्चात से प्रभावशील रहेगाः—

क	*न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम*	*क्षेत्राधिकार एवं साधारण कार्यक्षेत्र*	*आपराधिक प्रकरणों से संबंधित कार्य जिनका वितरण होगा।*
1	श्री मयंक मोदी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रतलाम म.प्र.	1. संपूर्ण जिला रतलाम	1— सभी आरक्षीकेन्द्रों से संबंधित आपराधिक मामलों की ई.आर।
		2. आरक्षीकेन्द्र :—(क) स्टेशन रोड रतलाम (ख) यातायात एवं क्षेत्रीय परिवहन (ग) आबकारी वृत ''अ, ब, स एवं परगना'' रतलाम के 50 बल्क लीटर एवं उससे अधिक तथा धारा 49—ए आबकारी अधिनियम के प्रकरण।	(1) उक्त आरक्षीकेन्द्र से उत्पन्न होने वाले समस्त मामले, दं.प्र.सं. की धारा 173 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले अभियोग पत्र, (संबंधित आरक्षीकेन्द्र से उद्भूत परिवाद पत्र और धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के परिवाद को छोड़कर) तथा आवेदन पत्र (जिसमें ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर)। (2) उक्त मामलों से संबंधित विविध आपराधिक कार्यवाहियां जो कि अन्यत्र कार्य विभाजन पत्र मे वर्णित नहीं है। (3) क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले समस्त प्रकरण। (4) आबकारी समस्त वृत तहसील रतलाम से उद्भूत होने वाले 50 बल्क लीटर व उससे अधिक शराब के मामले तथा धारा 49—ए आबकारी अधिनियम के प्रकरण।
		3. संपूर्ण तहसील रतलाम	(1) खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के मामले, कंपनी अधिनियम के मामले। (2) दुकान संस्थान एवं नाप तौल अधिनियम के मामले। (3) नगर पालिक निगम से संबंधित मामले।

			(4) भारतीय वन अधिनियम एवं खनन अधिनियम के मामले।
		4. पीठासीन अधिकारी विशेष न्यायालय राजस्व जिला रतलाम, मंदसौर एवं नीमच	ऐसे आर्थिक अपराध वाले मामले जो निम्न अधिनियम से संबंधित हों :– (1) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, (2) विदेशी व्यापार अधिनियम, (3) कंपनी अधिनियम, (4) धनकर अधिनियम, (5) दानकर अधिनियम, (6) आयकर अधिनियम, (7) सीमा शुल्क अधिनियम, (8) निर्यात अधिनियम, (9) कंपनी अतिकर अधिनियम, (10) एकाधिकार एवं अवरोध व्यापार व्यवहार अधिनियम, (11) विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम (12) ऐसे समस्त प्रकरण जिनके संबंध में कार्य विभाजन में कोई व्यवस्था नहीं की गयी।
2	श्री मनीष अनुरागी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम	आरक्षीकेन्द्रः– 1.औद्योगिक क्षेत्र, रतलाम	(1) उक्त आरक्षीकेन्द्रों से उत्पन्न होने वाले समस्त मामले, दं.प्र.सं. की धारा 173 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले अभियोग पत्र, परिवाद पत्र से संबंधित मामले, आवेदन पत्र (जिसमें वन अधिनियम तथा खनन अधिनियम के क्षेत्राधिकार को छोड़कर)। (2) उक्त आरक्षी केन्द्र से संबंधित विविध आपराधिक कार्यवाहियां। (3) आरक्षी केन्द्र स्टेशन रोड एवं औद्योगिक क्षेत्र, रतलाम से उत्पन्न होने वाले पेमेंट एण्ड सेटलमेंट सिस्टिंग एक्ट 2007 से संबंधित मामले। (4) सक्षम न्यायालयों द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण।
3	श्री मनीष अनुरागी, ग्राम न्यायाधिकारी रतलाम	**ग्राम न्यायालय**	(1) तहसील रतलाम के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत के ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 से संबंधित आपराधिक मामले।
4	श्री डी.पी. सूत्रकार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम	आरक्षीकेन्द्रः– 1. दीनदयाल नगर	(1) उक्त आरक्षीकेन्द्र से उत्पन्न होने वाले समस्त मामले, दं.प्र.सं. की धारा 173 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले अभियोग पत्र, परिवाद पत्र, आवेदन पत्र, धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम से संबंधित मामले एवं एफ. आर. (जिसमें ग्राम न्यायालय एवं वन अधिनियम व खनन अधिनियम के क्षेत्राधिकार को छोड़कर)। (2) उक्त आरक्षी केन्द्र से संबंधित विविध आपराधिक कार्यवाहियां।

			(3) आरक्षी केन्द्र स्टेशन रोड, रतलाम से उद्भूत समस्त परिवाद पत्र एवं आरक्षी केन्द्र स्टेशन रोड, रतलाम से उद्भूत होने वाले धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के मामले माह **<u>दिसम्बर–2023 एवं जनवरी–2024</u>** में इस न्यायालय में प्रस्तुत किये जायेगें। (4) सक्षम न्यायालयों द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण।
5	श्रीमती हर्षिता शर्मा, प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड, रतलाम	संपूर्ण रतलाम क्षेत्र किशोर न्याय बोर्ड	किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत जिला रतलाम के समस्त आरक्षीकेन्द्रों के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न अभियोग पत्र, परिवाद पत्र, आवेदन पत्र।
6	श्री कृष्णा अग्रवाल, (स्पेशल रेल्वे मजिस्ट्रेट) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम	आरक्षीकेन्द्रः– 1. शासकीय रेल्वे पुलिस थाना रतलाम 2. शासकीय रेल्वे सुरक्षा बल थाना, रतलाम	(1) भारतीय रेल्वे अधिनियम, 1980 तथा रेल्वे संपत्ति विधि विरोध कब्जा। (2) अधिनियम, 1956 के अधिनियम माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. की अधिसूचना 12668/ तीन–6–30 दिनांक 20.9.1974 द्वारा विशिष्ट रेल्वे दण्डाधिकारी को सौंपे गये अधिकार स्तंभ में अंकित थाना क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक मामलों के अभियोग पत्र एवं समस्त प्रकरण तथा खात्मा प्रकरण। (3) सक्षम न्यायालयों द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण।
7	श्रीमती बार्बी जुनेजा अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम	आरक्षीकेन्द्रः– 1. माणकचौक	(1) उक्त आरक्षीकेन्द्र से उत्पन्न होने वाले समस्त मामले, दं.प्र.सं. की धारा 173 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले अभियोग पत्र, परिवाद पत्र, आवेदन पत्र, धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम से संबंधित मामले एवं एफ. आर (जिसमें ग्राम न्यायालय एवं वन अधिनियम व खनन अधिनियम के क्षेत्राधिकार को छोड़कर)। (2) उक्त आरक्षी केन्द्र से संबंधित विविध आपराधिक कार्यवाहियां। (3) आरक्षी केन्द्र स्टेशन रोड, रतलाम से उद्भूत समस्त परिवाद पत्र एवं आरक्षी केन्द्र स्टेशन रोड, रतलाम से उद्भूत होने वाले धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के मामले माह **<u>अक्टूबर एवं नवम्बर</u>** में इस न्यायालय में प्रस्तुत किये जायेगें। (4) सक्षम न्यायालयों द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण।
8	सुश्री कृतिका सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,	आरक्षी केन्द्रः– 1. नामली	(1) उक्त आरक्षीकेन्द्र से उत्पन्न होने वाले समस्त मामले, दं.प्र.सं. की धारा 173 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले अभियोग पत्र, परिवाद पत्र, आवेदन पत्र, धारा 138

	रतलाम		परक्राम्य लिखत अधिनियम से संबंधित मामले एवं एफ. आर (जिसमें ग्राम न्यायालय एवं वन अधिनियम व खनन अधिनियम के क्षेत्राधिकार को छोड़कर)। (2) उक्त आरक्षी केन्द्र से संबंधित विविध आपराधिक कार्यवाहियां। (3) आरक्षी केन्द्र स्टेशन रोड, रतलाम से उद्भूत समस्त परिवाद पत्र एवं आरक्षी केन्द्र स्टेशन रोड, रतलाम से उद्भूत होने वाले धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के मामले माह **अगस्त एवं सितम्बर** में इस न्यायालय में प्रस्तुत किये जायेगें। (4) आरक्षी केन्द्र औद्योगिक क्षेत्र, रतलाम से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के मामले। (5) सक्षम न्यायालयों द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण।
9	श्रीमती ज्योति राठौर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम	**आरक्षी केन्द्रः–** 1. महिला थाना, रतलाम	(1) **थाना स्टेशन रोड, माणक चौक, औद्योगिक क्षेत्र, महिला थाना, दीनदयान नगर, बिलपांक, नामली, जी.आर.पी. व रतलाम शहर से संबंधित घरेलू हिंसा के मामले व महिलाओं से संबंधित अन्य प्रकरण जो मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय हैं, ग्राम न्यायालय क्षेत्राधिकार के प्रकरण छोड़कर (जिसमें ग्राम न्यायालय एवं वन अधिनियम तथा खनन अधिनियम के क्षेत्राधिकार को छोड़कर)।** (2) उक्त आरक्षी केन्द्र से संबंधित विविध आपराधिक कार्यवाहियां। (3) आरक्षी केन्द्र स्टेशन रोड, रतलाम से उद्भूत समस्त परिवाद पत्र एवं आरक्षी केन्द्र स्टेशन रोड, रतलाम से उद्भूत होने वाले धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के मामले माह **जून एवं जुलाई** में इस न्यायालय में प्रस्तुत किये जायेगें। (4) सक्षम न्यायालयों द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण।
10	सुश्री नेहा उपाध्याय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम	**आरक्षी केन्द्रः–** 1. आबकारी वृत **''अ, ब, स एवं परगना''**तहसील रतलाम (50 बल्क लीटर से कम)	(1) आबकारी वृत **''स, ब, स एवं परगना''**तहसील रतलाम से उद्भूत होने वाले 50 बल्क लीटर से कम शराब के मामले **(धारा 49–ए आबकारी अधिनियम को छोड़कर)।** (2) आरक्षी केन्द्र स्टेशन रोड, रतलाम से उद्भूत समस्त परिवाद पत्र एवं आरक्षी केन्द्र स्टेशन रोड, रतलाम से उद्भूत होने वाले धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के मामले माह **फरवरी एवं मार्च** में इस न्यायालय में

			प्रस्तुत किये जायेगें। (3) सक्षम न्यायालयों द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण।
11	सुश्री मनदीप कौर सेहमी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम	आरक्षीकेन्द्रः– 1. बिलपांक	(1) उक्त आरक्षीकेन्द्र से उत्पन्न होने वाले समस्त मामले, दं.प्र.सं. की धारा 173 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले अभियोग पत्र, परिवाद पत्र, आवेदन पत्र, धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम से संबंधित मामले एवं एफ. आर(जिसमें ग्राम न्यायालय एवं वन अधिनियम तथा खनन अधिनियम के क्षेत्राधिकार को छोड़कर)। (2) उक्त आरक्षी केन्द्र से संबंधित विविध आपराधिक कार्यवाहियां। (3) आरक्षी केन्द्र स्टेशन रोड, रतलाम से उद्भूत समस्त परिवाद पत्र एवं आरक्षी केन्द्र स्टेशन रोड, रतलाम से उद्भूत होने वाले धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के मामले माह **अप्रैल एवं मई** में इस न्यायालय में प्रस्तुत किये जायेगें। (4) सक्षम न्यायालयों द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण। (5) आरक्षी केन्द्र स्टेशन रोड, रतलाम एवं औद्योगिक क्षेत्र, रतलाम से संबंधित खात्मा (एफ.आर.) प्रकरण।
12	श्री अरविंद कुमार बरला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जावरा	आरक्षी केन्द्रः– 1. जावरा शहर	(1) उक्त आरक्षीकेन्द्र से उत्पन्न होने वाले समस्त मामले, दं.प्र.सं. की धारा 173 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले अभियोग पत्र, परिवाद पत्र, आवेदन पत्र एवं एफ.आर. (जिसमें ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर)। (2) उक्त मामलों से संबंधित विविध आपराधिक कार्यवाहियां। (3) सक्षम न्यायालयों द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण। (4) तहसील जावरा के सभी मामले जो कि अन्य अधिनियम से संबंधित हैं। (5) वन अधिनियम एवं खनन खनन अधिनियम के मामले।
13	श्री अरविंद कुमार बारला, ग्राम न्यायाधिकारी, जावरा	**ग्राम न्यायालय**	(1) राजस्व तहसील जावरा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत के ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 से संबंधित आपराधिक मामले।
14	श्री सूर्यपालसिंह राठौर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जावरा	आरक्षी केन्द्रः– 1. रिंगनोद 2. औद्योगिक क्षेत्र ,जावरा	(1) उक्त आरक्षीकेन्द्रों से उत्पन्न होने वाले समस्त मामले, दं.प्र.सं. की धारा 173 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले अभियोग पत्र, परिवाद पत्र, आवेदन पत्र, धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम से संबंधित मामले, एवं एफ.

		2. आबकारी वृत तहसील जावरा (50 बल्क लीटर से अधिक एवं 49–ए आबकारी अधिनियम के प्रकरण)	आर. (जिसमें ग्राम न्यायालय एवं वन अधिनियम तथा खनन अधिनियम के क्षेत्राधिकार को छोड़कर)। (2) उक्त मामलों से संबंधित विविध आपराधिक कार्यवाहियां। (3) सक्षम न्यायालयों द्वारा समय –समय पर अंतरित किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण। (4) आबकारी वृत तहसील जावरा से उद्भूत होने वाले 50 बल्क लीटर व उससे अधिक शराब के मामले तथा धारा 49–ए आबकारी अधिनियम के प्रकरण।
15	श्रीमती प्रगति मित्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जावरा	आरक्षी केन्द्रः– 1. कालूखेड़ा	(1) उक्त आरक्षीकेन्द्रों से उत्पन्न होने वाले समस्त मामले, दं.प्र.सं. की धारा 173 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले अभियोग पत्र, परिवाद पत्र, आवेदन पत्र, धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम से संबंधित मामले, एवं एफ. आर. (जिसमें ग्राम न्यायालय एवं वन अधिनियम तथा खनन अधिनियम के क्षेत्राधिकार को छोड़कर)। (2) उक्त आरक्षी केन्द्र से संबंधित विविध आपराधिक कार्यवाहियां। (3) सक्षम न्यायालयों द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण।
16	श्रीमती हर्षिता पिपरेवार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जावरा	**आरक्षी केन्द्रः–** 1. महिला थाना 2. आबकारी वृत्त तहसील जावरा के 50 बल्क लीटर से कम आबकारी अधिनियम के प्रकरण।	(1) उक्त आरक्षीकेन्द्रों से उत्पन्न होने वाले समस्त मामले, दं.प्र.सं. की धारा 173 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले अभियोग पत्र, परिवाद पत्र, आवेदन पत्र, धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम से संबंधित मामले, एवं एफ. आर. (जिसमें ग्राम न्यायालय एवं वन अधिनियम तथा खनन अधिनियम के क्षेत्राधिकार को छोड़कर)। **(2) आरक्षीकेन्द्र जावरा शहर, औद्योगिक क्षेत्र जावरा, कालूखेडा, बडावदा, रिंगनोद, पिपलोदा से संबंधित घरेलू हिंसा के मामले व महिलाओं से संबंधित अन्य प्रकरण जो मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय हैं,(ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के मामलों को छोड़कर)।** (3) उक्त मामलों से संबंधित विविध आपराधिक कार्यवाहियां। (4) सक्षम न्यायालयों द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण। **(5) आबकारी वृत तहसील जावरा से उद्भूत होने वाले 50 बल्क लीटर से कम शराब के मामले (धारा 49–ए आबकारी अधिनियम को छोड़कर)।**
17	श्री रोहित शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जावरा	आरक्षी केन्द्रः– 1. पिपलौदा	(1) उक्त आरक्षीकेन्द्रों से उत्पन्न होने वाले समस्त मामले, दं.प्र.सं. की धारा 173 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले अभियोग पत्र, परिवाद पत्र, आवेदन पत्र, धारा 138

			परक्राम्य लिखत अधिनियम से संबंधित मामले, एवं एफ. आर. (जिसमें ग्राम न्यायालय एवं वन अधिनियम तथा खनन अधिनियम के क्षेत्राधिकार को छोड़कर)। (2) उक्त आरक्षी केन्द्र से संबंधित विविध आपराधिक कार्यवाहियां। (3) सक्षम न्यायालयों द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण।
18	सुश्री शिखा चतुर्वेदी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जावरा	आरक्षी केन्द्रः– 1. बड़ावदा	(1) उक्त आरक्षीकेन्द्रों से उत्पन्न होने वाले समस्त मामले, दं.प्र.सं. की धारा 173 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले अभियोग पत्र, परिवाद पत्र, आवेदन पत्र, धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम से संबंधित मामले, एवं एफ. आर. (जिसमें ग्राम न्यायालय एवं वन अधिनियम तथा खनन अधिनियम के क्षेत्राधिकार को छोड़कर)। (2) उक्त मामलों से संबंधित विविध आपराधिक कार्यवाहियां। (3) सक्षम न्यायालयों द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण। (4) आरक्षीकेन्द्र जावरा शहर से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम से संबंधित मामले।
19	सुश्री नेहा सावनेर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सैलाना	**आरक्षी केन्द्रः–** 1. सैलाना 2. बाजना 3. महिला थाना 4.आबकारी वृत्त तहसील सैलाना के 50 बल्क लीटर एवं उससे अधिक तथा धारा 49–ए आबकारी अधिनियम के प्रकरण	(1) उक्त आरक्षीकेन्द्र से उत्पन्न होने वाले समस्त मामले, दं.प्र.सं. की धारा 173 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले अभियोग पत्र, परिवाद पत्र, आवेदन पत्र, धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम से संबंधित मामले एवं एफ. आर.। (2) उक्त मामलों से संबंधित विविध आपराधिक कार्यवाहियां। (3) **तहसील सैलाना के क्षेत्राधिकार से संबंधित घरेलू हिंसा के मामले व महिलाओं से संबंधित अन्य प्रकरण जो मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय हैं (ग्राम न्यायालय क्षेत्राधिकार के प्रकरण छोड़कर।)** (4) तहसील सैलाना के सभी मामले जो कि अन्य अधिनियम से संबंधित हैं। (5) तहसील सैलाना से संबंधित नगर पालिका अधिनियम, वन अधिनियम, खनन अधिनियम के मामले। **(6) आबकारी वृत तहसील सैलाना से उद्भूत होने वाले 50 बल्क लीटर व उससे अधिक शराब के मामले तथा धारा 49–ए आबकारी अधिनियम के प्रकरण।** (7) सक्षम न्यायालयों द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण।
20	सुश्री श्रेया शर्मा,	आरक्षीकेन्द्रः–	(1) उक्त आरक्षीकेन्द्रों से उत्पन्न होने वाले समस्त

	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सैलाना	1. रावटी 2. आबकारी वृत तहसील सैलाना (50 बल्क लीटर से कम)	मामले, दं.प्र.सं. की धारा 173 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले अभियोग पत्र, परिवाद पत्र, धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम से संबंधित मामले, आवेदन पत्र एवं एफ.आर. (जिसमें नगर पालिका, वन अधिनियम तथा खनन अधिनियम के क्षेत्राधिकार को छोड़कर)। (2) उक्त मामलों से संबंधित विविध आपराधिक कार्यवाहियां। (3) सक्षम न्यायालयों द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण। (4) आबकारी वृत तहसील सैलाना से उद्भूत होने वाले 50 बल्क लीटर से कम शराब के मामले **(धारा 49–ए आबकारी अधिनियम को छोड़कर)।**
21	श्री अभिषेक सोनी (जूनियर), न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सैलाना	आरक्षी केन्द्रः– 1. शिवगढ़ 2. सरवन	(1) उक्त आरक्षीकेन्द्र से उत्पन्न होने वाले समस्त मामले, दं.प्र.सं. की धारा 173 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले अभियोग पत्र, परिवाद पत्र, आवेदन पत्र, धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम से संबंधित मामले, एवं एफ. आर. (जिसमें नगर पालिका, वन अधिनियम तथा खनन अधिनियम के क्षेत्राधिकार को छोड़कर)। (2) उक्त मामलों से संबंधित विविध आपराधिक कार्यवाहियां। (3) सक्षम न्यायालयों द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण।
22	श्री मृणाल मोहित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आलोट	आरक्षी केन्द्रः– 1. आलोट 2. आबकारी वृत्त तहसील आलोट एवं ताल के 50 बल्क लीटर एवं उससे अधिक तथा धारा 49–ए आबकारी अधिनियम के प्रकरण	(1) उक्त आरक्षीकेन्द्रों से उत्पन्न होने वाले समस्त मामले, दं.प्र.सं. की धारा 173 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले अभियोग पत्र, परिवाद पत्र, धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम से संबंधित मामले, आवेदन पत्र एवं एफ.आर.। (2) उक्त मामलों से संबंधित विविध आपराधिक कार्यवाहियां। (3) सक्षम न्यायालयों द्वारा समय, समय पर अंतरित किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण। (4) तहसील आलोट एवं तहसील ताल के सभी मामले जो कि अन्य अधिनियम से संबंधित हैं। (5) तहसील आलोट एवं तहसील ताल से संबंधित नगर पालिका अधिनियम, वन अधिनियम एवं खनन अधिनियम के मामले। **(6) आबकारी वृत्त तहसील आलोट एवं ताल के 50 बल्क लीटर एवं उससे अधिक तथा धारा 49–ए आबकारी अधिनियम के प्रकरण।**
23	श्रीमती अंशु चौहान गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम	आरक्षी केन्द्रः– 1. ताल	(1) उक्त आरक्षीकेन्द्रों से उत्पन्न होने वाले समस्त मामले, दं.प्र.सं. की धारा 173 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले अभियोग पत्र, परिवाद पत्र, धारा 138 परक्राम्य लिखत

	श्रेणी, आलोट		अधिनियम से संबंधित मामले, आवेदन पत्र एवं एफ.आर.। (2) उक्त आरक्षी केन्द्र से संबंधित विविध आपराधिक कार्यवाहियां। (3) सक्षम न्यायालयों द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण।
24	श्रीमती निर्मला वास्कले, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आलोट	आरक्षी केन्द्रः– 1. बरखेड़ा	1) उक्त आरक्षीकेन्द्रों से उत्पन्न होने वाले समस्त मामले, दं.प्र.सं. की धारा 173 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले अभियोग पत्र, परिवाद पत्र, आवेदन पत्र, धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम से संबंधित मामले, एवं एफ. आर. (जिसमें वन अधिनियम तथा खनन अधिनियम के क्षेत्राधिकार को छोड़कर)। (2) उक्त आरक्षी केन्द्र से संबंधित विविध आपराधिक कार्यवाहियां। (3) सक्षम न्यायालयों द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण।
25	श्री स्वस्तिक सावंत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आलोट	आरक्षी केन्द्रः– 1. आबकारी वृत तहसील आलोट एवं ताल (50 बल्क लीटर से कम)	(1) सक्षम न्यायालयों द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण। (2) आबकारी वृत्त तहसील आलोट एवं ताल के 50 बल्क लीटर से कम शराब के मामले, धारा 49–ए आबकारी अधिनियम को छोड़कर।
26	कु. मधुबाला सोलंकी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आलोट	**आरक्षी केन्द्रः–** 1. महिला थाना	**(1) <u>थाना आलोट, ताल, बरखेडा से संबंधित घरेलू हिंसा के मामले व महिलाओं से संबंधित अन्य प्रकरण जो मजिस्टेट न्यायालय द्वारा विचारणीय हैं। (ग्राम न्यायालय क्षेत्राधिकार के प्रकरण छोड़कर।)</u>** (2) उक्त आरक्षी केन्द्र से संबंधित विविध आपराधिक कार्यवाहियां। (3) सक्षम न्यायालयों द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण।

<u>नोट</u> :–

1. इस आदेश के निर्वहन तथा किसी प्रकार के भ्रम उत्पन्न होने पर प्रकरण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रतलाम को संदर्भित किया जावे।

2. इस कार्य विभाजन आदेश के पूर्व लंबित आपराधिक प्रकरणों पर कोई प्रभाव नहीं होगा।

3. किसी न्यायालय के अत्यावश्यक आपराधिक कार्यो में निम्नलिखित कार्य शामिल माने जावेंगेः– रिमाण्ड, जमानत, उपस्थिति माफी, वाहन सुपुर्दगी आवेदन पत्र धारा 451–457 दं.प्र.सं. का निराकरण एवं संक्षिप्त प्रकिया का निराकरण एवं संक्षिप्त प्रकिया से विचारणीय नये अभियोग पत्र जिसमें अभियुक्त दोषसिद्धि का अभिवाक् करना चाहता है, उन प्रकरणों का पंजीयन एवं निराकरण करना।

4. प्रभार वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष (स्पेशल रेलवे मजिस्ट्रेट, बाल न्यायालय व ग्राम न्यायालय के मामलों को छोडकर) स्वीकारोक्ति की समरी का क्षेत्राधिकार प्राप्त होगा तथा ऐसा माना जायेगा कि समरी उनके क्षेत्राधिकार में प्रस्तुत हुई है।

5. दाण्डिक कार्य विभाजन आदेश सामान्य आदेश है जिसके पूरे सत्र खण्ड के कोई भी दाण्डिक मामले या कार्यवाही का संज्ञान लेने के समय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां समाप्त नहीं होती। विशेष परिस्थितियों में वे पूरे सत्र खण्ड के किसी मामले या कार्यवाही को सीधे ग्रहण कर सकते हैं।

6. तहसील न्यायालय के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी यथा संभव अपने क्षेत्राधिकार के भीतर चलित न्यायालय का संपादन माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम से आदेश लेकर व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रतलाम को पूर्व सूचना देकर कर सकेगें तथा आवश्यकता अनुसार एक से अधिक बार भी चलित न्यायालय, न्यायालयीन समय प्रभावित किये बिना संचालित किया जा सकेगा।

7. रिक्त न्यायालयों (ग्राम न्यायालय को छोड़कर) से संबंधित समस्त कार्यवाहियां (खाद्य अपमिश्रण अधिनियम, वन अधिनियम, खनन अधिनियम तथा धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम के प्रकरणों को छोड़कर) जिनमें अभिलेख की वापसी, रतलाम शहर के संपूर्ण बिना मियादी वारण्ट जो वर्तमान पदस्थापित मजिस्ट्रेटों द्वारा जारी नहीं है और पूर्व पीठासीन के कॉलम मे गिरफ्तार किये गये अभियुक्त के प्रकरण का विचारण तथा अन्य कार्यवाहियां शामिल हैं, उन्हें **आरक्षीकेन्द्र स्टेशन रोड, रतलाम को छोड़कर, संबंधित आरक्षीकेन्द्र के क्षेत्राधिकार वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम** के द्वारा संपादित किया जावेगा।

8. आरक्षीकेन्द्र स्टेशन रोड, रतलाम से संबंधित उपरोक्त कार्यवाहियां (खाद्य अपमिश्रण अधिनियम, वन अधिनियम, खनन अधिनियम तथा धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम के प्रकरणों को छोड़कर) जिनमें अभिलेख की वापसी, रतलाम शहर के संपूर्ण बिना मियादी वारण्ट जो वर्तमान पदस्थापित मजिस्ट्रेटों द्वारा जारी नहीं है और पूर्व पीठासीन के कॉलम मे गिरफ्तार किये गये अभियुक्त के प्रकरण का विचारण तथा अन्य कार्यवाहियां शामिल हैं, श्रीमती ज्योति राठौर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम के द्वारा संपादित की जावेगी

9. आरक्षीकेन्द्र स्टेशन रोड, रतलाम से संबंधित धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के संबंध में उपरोक्त कार्यवाहियां सुश्री मनदीप कौर सेहमी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम के द्वारा संपादित की जावेगी।

10. आरक्षीकेन्द्र स्टेशन रोड, रतलाम से संबंधित खाद्य अपमिश्रण अधिनियम, वन अधिनियम, खनन अधिनियम तथा अन्य विशेष धाराओं के प्रकरणों के संबंध में (मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय) उपरोक्त कार्यवाहियां श्री डी.पी. सूत्रकार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम के द्वारा संपादित की जावेगी।

11. रिक्त न्यायालयों (ग्राम न्यायालय को छोड़कर) से संबंधित समस्त कार्यवाहियां जिनमें अभिलेख की वापसी, क्रमशः तहसील जावरा/सैलाना/आलोट के संपूर्ण बिना मियादी वारण्ट जो वर्तमान पदस्थापित मजिस्ट्रेटों द्वारा जारी नहीं है और पूर्व पीठासीन अधिकारी के कॉलम मे गिरफतार किये गये अभियुक्त के प्रकरण का विचारण या अन्य समस्त कार्यवाहियां शामिल हैं, **उन्हें संबंधित आरक्षीकेन्द्र के क्षेत्राधिकार** वाले क्रमशः

न्यायिक मजिस्ट्रेटगण प्रथम श्रेणी जावरा/सैलाना/आलोट के द्वारा संपादित किया जावेगा।

12. धारा 52–क एन.डी.पी.एस. की कार्यवाही के संबंध में प्रत्येक माह के प्रथम शनिवार (अवकाश होने पर अन्य शनिवार) को निम्न लिखित मजिस्ट्रेट संबंधित पुलिस अधीक्षक/अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक/एस.डी.ओ.पी. के समन्वय से निर्धारित किये गये स्थान पर जाकर उक्त कार्यवाही करेगें (रतलाम में डी.एस.पी. यातायात कार्यालय एवं तहसीलों में एस.डी.ओ.पी. कार्यालय में) :–

रतलामः–

क्र.	नाम अधिकारी एवं पद	माह
1	श्री डी.पी सूत्रकार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम	फरवरी, मार्च
2	श्रीमती बार्बी जुनेजा अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम	अप्रैल, मई
3	सुश्री कृतिका सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम	जून, जुलाई
4	श्रीमती ज्योति राठौर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम	अगस्त, सितम्बर
5	सुश्री नेहा उपाध्याय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम	अक्टूबर, नवम्बर
6	सुश्री मनदीप कौर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम	दिसम्बर, जनवरी 2024

जावराः–

क्र.	नाम अधिकारी एवं पद	माह
1	श्री सूर्यपालसिंह राठौर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जावरा	फरवरी, मार्च
2	श्रीमती प्रगति मित्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जावरा	अप्रैल, मई
3	श्रीमती हर्षिता पिपरेवर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जावरा	जून, जुलाई
4	श्री रोहित शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जावरा	अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर
5	सुश्री शिखा चतुर्वेदी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जावरा	नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी 2024

सैलानाः–

क्र.	नाम अधिकारी एवं पद	माह
1	सुश्री नेहा सावनेर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सैलाना	फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई
2	सुश्री श्रेया शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सैलाना	जून, जुलाई, अगस्त, सितम्बर
3	श्री अभिषेक सोनी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सैलाना	अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी 2024

आलोटः–

क्र	नाम अधिकारी एवं पद	माह
1	श्रीमती अंशु चौहान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आलोट	फरवरी, मार्च
2	श्री मृणाल मोहित गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आलोट	अप्रैल, मई
3	श्रीमती निर्मला वास्कले, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आलोट	जून, जुलाई
4	श्री स्वस्तिक सावंत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आलोट	अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर
5	कु. मधुबाला सोलंकी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,	नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी 2024

नोट– यदि कोई मजिस्ट्रेटगण दिये गये उपरोक्त सूची अनुसार माह में उक्त दिन को अवकाश में रहते हैं तो उनका कार्य प्रभारी मजिस्ट्रेट के द्वारा संपादित किया जावेगा।

(मयंक मोदी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
रतलाम,(म.प्र.)

दाण्डिक कार्य विभाजन आदेश वर्ष 2023

अनुसूची कमांक – 01

उपरोक्त आदेश के अंतर्गत अवकाश के दिनों में या संबंधित मजिस्ट्रेट के अवकाश पर होने पर शीघ्रतर कार्य के लिये सारणी के कॉलम 1 मे उल्लेखित न्यायिक मजिस्ट्रेट का अवकाश कार्य कॉलम नंबर 2 मे दर्शित न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास तथा उनके अवकाश मे रहने पर कॉलम नंबर 3 में, उनके अवकाश पर रहने पर कॉलम नंबर 4 मे तथा उनके अवकाश मे रहने पर कॉलम नंबर 5 मे उल्लेखित न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास रहेगा। तदानुसार व शीघ्रतर कार्य संपन्न करेंगे। रतलाम मुख्यालय एवं तहसील मुख्यालय में अवकाश के दिनों में पदस्थ मजिस्ट्रेटगण के शीघ्रतर प्रकृति के कार्य उस दिन रिमांड ड्यूटी में उपस्थित मजिस्ट्रेट कर सकेंगे।

1	2	3	4	5
श्री मयंक मोदी	श्री मनीष अनुरागी	श्री डी.पी. सूत्रकार	सुश्री कृतिका सिंह	श्रीमती ज्योति राठौर
श्री मनीष अनुरागी	श्री डी.पी. सूत्रकार	सुश्री मनदीप कौर सेहमी	सुश्री नेहा उपाध्याय	श्रीमती ज्योति राठौर
श्री डी.पी. सूत्रकार	श्रीमती ज्योति राठौर	सुश्री मनदीप कौर सेहमी	सुश्री कृतिका सिंह	सुश्री नेहा उपाध्याय
श्री कृष्णा अग्रवाल	श्रीमती बार्बी जुनेजा अग्रवाल	सुश्री कृतिका सिंह	श्रीमती ज्योति राठौर	श्री डी.पी. सूत्रकार
श्रीमती बार्बी जुनेजा अग्रवाल	श्रीमती ज्योति राठौर	श्री डी.पी. सूत्रकार	सुश्री कृतिका सिंह	सुश्री मनदीप कौर सेहमी
सुश्री कृतिका सिंह	सुश्री नेहा उपाध्याय	श्री डी.पी. सूत्रकार	श्री मनीष अनुरागी	सुश्री मनदीप कौर सेहमी
श्रीमती ज्योति राठौर	सुश्री कृतिका सिंह	सुश्री मनदीप कौर सेहमी	श्री डी.पी. सूत्रकार	सुश्री नेहा उपाध्याय
सुश्री मनदीप कौर सेहमी	सुश्री नेहा उपाध्याय	श्री मनीष अनुरागी	श्री डी.पी. सूत्रकार	सुश्री कृतिका सिंह
सुश्री नेहा उपाध्याय	सुश्री मनदीप कौर सेहमी	सुश्री कृतिका सिंह	श्रीमती ज्योति राठौर	श्री डी.पी. सूत्रकार
श्री अरविंद कुमार बारला	श्री सूर्यपालसिंह राठौर	श्रीमती हर्षिता पिपरेवार	श्री रोहित शर्मा	श्रीमती प्रगति मित्रा
श्री सूर्यपालसिंह राठौर	श्री अरविंद कुमार बारला	श्रीमती प्रगति मित्रा	श्रीमती हर्षिता पिपरेवार	श्री रोहित शर्मा
श्रीमती प्रगति मित्रा	श्रीमती हर्षिता पिपरेवार	श्री सूर्यपालसिंह राठौर	श्री रोहित शर्मा	श्री अरविंद कुमार बारला

श्रीमती हर्षिता पिपरेवार	श्रीमती प्रगति मित्रा	श्री रोहित शर्मा	श्री अरविंद कुमार बारला	श्री सूर्यपालसिंह राठौर
श्री रोहित शर्मा	सुश्री शिखा चतुर्वेदी	श्रीमती प्रगति मित्रा	श्रीमती हर्षिता पिपरेवार	श्री अरविंद कुमार बारला
सुश्री शिखा चतुर्वेदी	श्री रोहित शर्मा	श्रीमती हर्षिता पिपरेवार	श्री अरविंद कुमार बारला	श्री सूर्यपालसिंह राठौर
सुश्री नेहा सावनेर	सुश्री श्रेया शर्मा	श्री अभिषेक सोनी	सुश्री नेहा उपाध्याय	सुश्री मनदीप कौर सेहमी
सुश्री श्रेया शर्मा	श्री अभिषेक सोनी	सुश्री नेहा सावनेर	सुश्री मनदीप कौर सेहमी	सुश्री नेहा उपाध्याय
श्री अभिषेक सोनी	सुश्री नेहा सावनेर	सुश्री श्रेया शर्मा	सुश्री कृतिका सिंह	सुश्री नेहा उपाध्याय
श्री मृणाल मोहित	श्रीमती निर्मला वास्कले	श्री स्वस्तिक सावंत	कु. मधुबाला सोलंकी	श्रीमती अंशु चौहान
श्रीमती अंशु चौहान	श्री स्वस्तिक सावंत	श्रीमती निर्मला वास्कले	श्री मृणाल मोहित	कु. मधुबाला सोलंकी
श्रीमती निर्मला वास्कले	श्री मृणाल मोहित	कु. मधुबाला सोलंकी	श्रीमती अंशु चौहान	श्री स्वस्तिक सावंत
श्री स्वस्तिक सावंत	कु. मधुबाला सोलंकी	श्रीमती निर्मला वास्कले	श्री मृणाल मोहित	श्रीमती अंशु चौहान
कु. मधुबाला सोलंकी	श्रीमती अंशु चौहान	श्री स्वस्तिक सावंत	श्रीमती निर्मला वास्कले	श्री मृणाल मोहित

नोट :–

1. जावरा/सैलाना/आलोट में कार्यरत मजिस्ट्रेटों से अपेक्षा की जाती है कि वे एक साथ मुख्यालय से बाहर बिना पूर्वानुमति के नहीं जावेंगे।

2. मजिस्ट्रेट्गण से अपेक्षा की जाती है कि वे अवकाश पर जाने से पूर्व लिखित रूप से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को सूचित करेंगे एवं अपने लिंक ऑफिसर को भी उसकी लिखित रूप से सूचना प्रदान करेंगे।

3. आवश्यक कार्य से संबंधित न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अपराध का संज्ञान लेना सम्मिलित होगा, किंतु प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से उक्त प्रभार में अत्यावश्यक होने पर (अत्यावश्यक) का कारण प्रभारी न्यायालय आदेश पत्रिका मे उल्लेखित करेंगे। संबंधित न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अपराधों का संज्ञान लेने के अधिकार प्रभारी अधिकारी (क्रमानुसार) होंगे। उक्त आदेश से अन्यथा किसी भी अन्य क्षेत्राधिकार के अपराध का संज्ञान अन्य न्यायालय द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अतिरिक्त नहीं किया जावेगा।

4. अनुसूची क्रमांक 01 अनुसार प्रभारी के रूप में सामान्य रूप से कार्य संपादित किया जावेगा। किसी विशेष परिस्थिति में यदि अनुसूची 01 में वर्णित कोई भी प्रभारी अधिकारी उपलब्ध नहीं होने पर रतलाम न्यायालय का अतिआवश्यक कार्य जावरा न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठ मजिस्ट्रेट, जावरा न्यायालय का अतिआवश्यक कार्य रतलाम न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठ मजिस्ट्रेट, आलोट न्यायालय का अतिआवश्यक कार्य जावरा न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठ मजिस्ट्रेट, सैलाना न्यायालय का अतिआवश्यक कार्य रतलाम न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठ मजिस्ट्रेट के द्वारा संपादित किया जावेगा। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि वरिष्ठ मजिस्ट्रेट से तात्पर्य मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय व स्पेशल रेल्वे मजिस्ट्रेट को छोडकर अन्य वरिष्ठ मजिस्ट्रेट से है।

5. प्रभारी न्यायाधीश के अवकाश या अन्य कारण से अनुपस्थित होने पर अनुसूची क्रमांक 01 अनुसार अग्रिम पंक्ति के प्रभारी के द्वारा कार्य संपादित किया जावेगा।

6. प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्यायबोर्ड, रतलाम के मुख्यालय पर उपस्थित रहने पर किशोर न्यायबोर्ड, रतलाम का कार्य अधिनियम अनुसार उनके द्वारा ही संपादित किया जावेगा, उनकी अनुपस्थिति में उनका कार्य सर्वप्रथम किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यगण द्वारा देखा जावेगा। यदि किसी कारणवश प्रधान मजिस्ट्रेट अवकाश पर या अन्य किसी कारण से मुख्यालय पर उपस्थित नहीं रहते हैं तथा सदस्यगण का पद रिक्त रहता है, तब किशोर न्यायबोर्ड, रतलाम का अत्यावश्यक कार्य श्रीमती ज्योति राठौर के द्वारा, उनकी अनुपस्थिति में सुश्री कृतिका सिंह के द्वारा एवं उनकी अनुपस्थिति में सुश्री मनदीप कौर सेहमी एवं उनकी अनुपस्थिति में सुश्री नेहा उपाध्याय, न्यायिक मजिस्ट्रेटगण प्रथम श्रेणी, रतलाम के द्वारा संपादित किया जावेगा।

(मयंक मोदी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
रतलाम,(म.प्र.)

दाण्डिक कार्य विभाजन आदेश वर्ष 2023
अनुसूची कमांक 2
धारा 164 दण्ड प्रकिया संहिता के अंतर्गत कथन लिपिबद्ध किये जाने हेतु

कं.	क्षेत्राधिकार	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम प्रथम प्रभार	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम द्वितीय प्रभार
1	आरक्षीकेन्द्र माणक चौक व बिलपांक	श्री कृष्णा अग्रवाल	श्री डी.पी. सूत्रकार
2	आरक्षीकेन्द्र स्टेशन रोड़ रतलाम व नामली	सुश्री मनदीप कौर सेहमी	श्रीमती बार्बी जुनेजा अग्रवाल
3	आरक्षीकेन्द्र ए.जे.के.	सुश्री कृतिका सिंह	सुश्री नेहा उपाध्याय
4	आरक्षीकेन्द्र डी.डी. नगर	श्रीमती बार्बी जुनेजा अग्रवाल	श्रीमती ज्योति राठौर
5	आरक्षीकेन्द्र ओद्योगिक क्षेत्र, रतलाम	श्रीमती ज्योति राठौर	सुश्री मनदीप कौर
6	आरक्षीकेन्द्र महिला थाना, जी.आर.पी.,आर.पी.एफ. रतलाम	सुश्री नेहा उपाध्याय	सुश्री कृतिका सिंह
7	आरक्षीकेन्द्र जावरा शहर,	श्री सूर्यपालसिंह राठौर	श्री रोहित शर्मा
8	आरक्षीकेन्द्र पिपलौदा, औद्योगिक क्षेत्र, जावरा	श्रीमती हर्षिता पिपरेवार	श्रीमती प्रगति मित्रा
9	आरक्षीकेन्द्र बड़ावदा, कालूखेड़ा	श्री रोहित शर्मा	श्री अरविन्द कुमार बारला
10	आरक्षीकेन्द्र रिंगनोद	श्रीमती प्रगति मित्रा	श्रीमती हर्षिता पिपरेवार
11	आरक्षीकेन्द्र आलोट	श्री स्वस्तिक सावंत	श्रीमती निर्मला वास्कले
12	आरक्षीकेन्द्र ताल	श्रीमती निर्मला वास्कले	श्री स्वस्तिक सावंत
13	आरक्षीकेन्द्र बरखेड़ा	श्री मृणाल मोहित	श्रीमती अंशु चौहान गुप्ता
14	आरक्षीकेन्द्र सैलाना, बाजना	सुश्री श्रेया शर्मा	श्री अभिषेक सोनी
15	आरक्षीकेन्द्र रावटी	श्री अभिषेक सोनी	सुश्री नेहा सावनेर
16	आरक्षीकेन्द्र शिवगढ़, सरवन	सुश्री नेहा सावनेर	सुश्री श्रेया शर्मा

नोट–

1. चूंकि महिलाओं से संबंधित चल रहे प्रकरणों की त्वरित गति से सुनवायी किये जाने हेतु रतलाम में श्रीमती ज्योति राठौर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सैलाना में सुश्री नेहा सावनेर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जावरा में श्रीमती हर्षिता पिपरेवार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एवं आलोट में कु. मधुबाला सोलंकी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, को अधिकृत किया गया है। यह अधिकारीगण महिलाओं से संबंधित ऐसे प्रकरणों में जिनमें उनके न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत नहीं होना है, धारा 164 दप्रस के कथन ले सकेगें। अन्य प्रकरण जिनके अभियोग पत्र इन न्यायालयों में प्रस्तुत होना है उनके धारा 164 दप्रस के कथन द्वितीय प्रभारी के द्वारा लिये जावेगें।

2. उपरोक्त द्वितीय प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में उनका कार्यभार जिस मजिस्ट्रेट के पास रहेगा वे इस कार्य को संपादित करेंगे और यदि वह न्यायिक मजिस्ट्रेट जो अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति मे पद पर उपस्थित है एवं जो थाना उनके क्षेत्राधिकार मे है यदि उससे संबंधित केस डायरी धारा 164 दं.प्र.सं. के कथन दर्ज करने बाबत् उनके समक्ष प्रस्तुत की जाती है तो वे उस कार्य को संपादित नहीं करते हुए अन्य उपस्थित प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के द्वारा वह कार्य संपन्न किया जावेगा।

3. किसी अधिकारी के अवकाश पर या अन्यथा अनुपस्थित रहने से धारा 164 दप्रस के कथन हेतु प्रभारी अधिकारी के समक्ष केस डायरी प्रस्तुत होने पर, यदि संबंधित आरक्षी केन्द्र कार्यविभाजन आदेशानुसार उसी प्रभारी न्यायाधीश के क्षेत्राधिकार का हो, किंतु अपराध की प्रकृति इस प्रकार की है कि अभियोग पत्र उस प्रभारी न्यायाधीश के न्यायालय में प्रस्तुत नहीं होना है, तब उस परिस्थिति में प्रभारी न्यायाधीश कथन ले सकेगें।

(मयंक मोदी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
रतलाम,(म.प्र.)